

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. एफ ए 3-34-2017-1-पांच (50).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-34-2017-1-पांच (81), दिनांक 27 जुलाई, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त मानी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. एफ ए 3-34-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-34-2017-1-पांच (50), दिनांक 26 जुलाई, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th July 2022

No. F A 3-34-2017-1-V(50).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A 3-34-2017-1-V (67), dated the 30th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry "6%" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 18th day of July, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.